03-12-2014 राज्य द्वारा ए०डी०पी०ओ०।

आरोपी सह श्री टी.आर.बघेले अधिवक्ता 🕻

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है।

उभयपक्ष की ओर से श्री टी.आर.बघेले अधिवक्ता ने उपस्थित होकर उभयपक्ष की ओर से एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा—320(2)दं.प्र.सं. का हस्ताक्षरित कर पेश किया। प्रति ए.डी.पी.ओ. को प्रदान की गईं।

राजीनामा आवेदन में व्यक्त किया गया है कि आरोपी एवं फरियादी एक ही जाति समाज एवं गांव के निवासी है। उभयपक्ष के मध्य गांव समाज में पंचो के समक्ष आरोपी से राजीनामा हो गया है। फरियादी ने आरोपी के साथ बिना डर, दबाव, लालच के स्वैच्छयापूर्वक राजीनामा करना एवं उनके मध्य मधुर संबंध हो जाना व्यक्त किया है। उभयपक्ष के मध्य मधुर संबंध भविष्य में भी मधुर बने रहे इसलिये फरियादी/आहत नरेन्द्र को आरोपी नारायण से राजीनामा करने की अनुमित प्रदान की जावे।

फरिया<u>दी / आहत</u> नरेन्द्र स्वतः उपस्थित। उसकी पहचान श्री टी.आर.बघेले अधिवक्ता द्वारा की गई। पहचान में संदेह नही हे। <u>प्रार्थी / आहत</u> से पूछे जाने पर उन्होनें स्वैच्छयापूर्वक पूर्वक राजीनामा किया जाना व्यक्त किया है।

प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से दर्शित होता है कि आरोपी के विरूद्ध धारा—294, 323, 506 भाग—2 भा.द.वि. के दण्डनीय अपराध में आरक्षी केन्द्र परसवाडा द्वारा अभियोग पत्र पेश किया गया है तथा न्यायालय द्वारा आरोपी के विरूद्ध धारा—294, 323, भाग—2 भा.द.वि. के दण्डनीय अपराध में आरोप पत्र विरचित किया गया है। आरोपी द्वारा कारित अपराध अंतर्गत धारा—294, 323, 506 भाग—2 भा.द.वि. का शमनीय एवं राजीनामा योग्य है। फलतः फरियादी/आहत नरेन्द्र को आरोपी नारायण से धारा—294, 323, 506 भाग—2 भा.द.वि. में राजीनामा करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

इसी स्तर पर फरियादी / आहत नरेन्द्र द्वारा एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा—320 द.प्र.सं. का इस आशय का पेश किया गया है कि उसके आरोपी के साथ बिना डर, दबाव, लालच के स्वैच्छयापूर्वक राजीनामा करना एवं उनके मध्य मधुर संबंध हो जाना व्यक्त किया है। उभयपक्ष के मध्य मधुर संबंध भविष्य में भी मधुर बने रहे इसलिये फरियादी / आहत नरेन्द्र को आरोपी नारायण से राजीनामा करने

की अनुमित प्रदान की जावे। प्रकरण में उभयपक्ष राजीनामा करने में सक्षम है। राजीनामा करने में कोई विधिक रूकावट नहीं है। प्रस्तुत राजीनामा आवेदन विधि विरूद्ध न होने से स्वीकार किया जाता है। फलतः आरोपी नारायण के परिपेक्ष्य में धारा—294, 323, 506 भाग—दो भा.द.वि. आरोप से दोषमुक्त किया जाता।

प्रकरण में आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है।

प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति एक लोहे की राड है, जो मूल्यहीन होने से नष्ट किया जावे।

प्रकरण का परिणाम आपराधिक पंजी में दर्ज कर प्रकरण अविलम्ब अभिलेखागार भेजा जावे।

> (सिराज अली) न्या.मजि.प्रथम श्रेणी, बैहर

STINION PROPERTY PROP